झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं0सं0–म0 नि0 –II–उ0 यो0 –83/2020–21/ 57रा0 मत्स्य, राँची, दिनांक 31/03/

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0 *भा0 प्र0 से0,*
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय– **केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0 49 रा0 (वि0) दिनांक 31.03.2021 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0 18 रा0 (वि0) दिनांक 03.09.2021 के द्वारा स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के क्रम में द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि कुल मो0 772.9865 लाख (सात करोड़ बहत्तर लाख अनठान्वे हजार छः सौ पचास) रू0 मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू केन्द्र प्रायोजित योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0 49 रा0 (वि0) दिनांक 31.03.2021 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0 18 रा0 (वि0) दिनांक 03.09.2021 के द्वारा स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के लिए भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि कुल मो0 772.9865 लाख **(सात करोड़ बहत्तर लाख अनठान्वे हजार छः सौ पचास)** रू0 मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लाभुकों हेतु पूर्व स्वीकृत परियोजनाओं में अपने अंशदान की द्वितीय किस्त (आधी) की राशि अर्थात मो0 463.80 लाख (चार करोड़ तिरसठ लाख अस्सी हजार) रू0 विमुक्त की गई है। राशि की विमुक्ति निम्न प्रकार की गई है–

(लाख रू0 में)

क्र0 सं0	भारत सरकार का पत्रांक/दिनांक	कोटि	राशि
1.	j-01011/1/2020-Fy दिनांक–30.03.2022	अनु0जन जाति	227.62
2.	j-01011/1/2020-Fy दिनांक–30.03.2022	अनु0 जाति	236.18
		कुल	**463.80**

3. इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल मो 6026.40 लाख रूपये की योजना उद्व्यय एवं समतुल्य बजट उपबन्ध प्राप्त है।

4. भारत सरकार द्वारा मो0 463.80 लाख रू0 मात्र द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त किये गये हैं, जिनका व्यय निम्न लघु शीर्षों में प्राप्त बजट उपबंध के अंतर्गत किया जाएगा–

मॉग सं0–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–77–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

(लाख रू0 में)

क0	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक से प्राप्त उपबंध	कुल बजट उपबंध	पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन						
1	01–वेतन एवं भत्ते–09–मानदेय (केन्द्रांश) 53C24050010177010109	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	21.60
2	03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53C24050010177010323	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.00
3	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	1450.00	0.00	1450.00	775.593	94.88	579.527
	कुल केन्द्रांश	**1485.60**	**0.00**	**1485.60**	**775.593**	**94.88**	**615.127**
क0	**विस्तृत शीर्ष**	**स्वीकृत बजट उपबंध**	**तृतीय अनुपूरक से प्राप्त उपबंध**	**कुल बजट उपबंध**	**पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश**	**वर्तमान में स्वीकृत राशि**	**अवशेष बजट उपबंध**
4	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	991.00	0.00	991.00	517.062	63.25	410.688
5	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	0.00	28.70	28.70	28.6902	0.00	0.0098
	कुल राज्यांश	**991.00**	**28.70**	**1019.70**	**545.7522**	**63.25**	**410.6978**
	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना						
6	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	550.00	0.00	550.00	125.069	236.18	188.751
	कुल केन्द्रांश	**550.00**	**0.00**	**550.00**	**125.069**	**236.18**	**188.751**
7	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	366.00	0.00	366.00	83.379	157.4565	125.1645
8	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	0.00	5.95	5.95	5.9409	0.00	0.0091
	कुल राज्यांश	**366.00**	**5.95**	**371.95**	**89.3199**	**157.4565**	**125.1736**
	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना						
9	01–वेतन एवं भत्ते–09–मानदेय (केन्द्रांश) 53C24050079677010109	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	32.40
10	03–प्रशासनिक	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00

	व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53C24050079677010323						
11	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	1500.00	0.00	1500.00	408.39	132.73	958.88
	कुल केन्द्रांश	**1552.40**	**0.00**	**1552.40**	**408.39**	**132.73**	**1011.28**
12	06–अनुदान–49–आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	1035.00	0.00	1035.00	272.26	88.49	674.25
13	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	0.00	11.75	11.75	11.7369	0.00	0.0131
	कुल राज्यांश	**1035.00**	**11.75**	**1046.75**	**283.9969**	**88.49**	**674.2631**
	कुल योग :	**5980.00**	**46.40**	**6026.40**	**2228.121**	**772.9865**	**3025.2925**

कुल स्वीकृत राशि मो0 सात करोड़ बहत्तर लाख अनठान्वे हजार छः सौ पचास मात्र।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी।

6. इस योजना के तहत् स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नई प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जाएगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय–समय पर संसूचित सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. प्रासंगिक योजना के तहत् भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

8. इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मार्गदर्शिका तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में निर्गत राज्यादेश सं0–49 रा0 (वि0) दिनांक 31.03.2021 तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्गत राज्यादेश सं0–18 रा0 (वि0) दिनांक 03.09.2021 एवं शुद्धि पत्र सं0 65 दिनांक 31.01.2022 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जाएगा।

9. जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का अंशदान समानुपातिक रूप से व्यय हो। योजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुदानों के अतिरिक्त शेष राशि लाभुक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।

10. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का पूर्ण विवरण यथा नाम, आधार संख्या, मोबाईल नं0, बैंक खाता एवं राशि हस्तांतरण की विस्तृत जानकारी लाभुकों के अभिलेख में अंकित हों ताकि निदेशालय/भारत सरकार को पूर्ण विवरण प्रेषित किया जा सके।

11. सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन साक्ष्य सहित मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।

12. जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य राज्यादेश सं0–49 रा0 (वि0) दिनांक 31.03.2021 तथा राज्यादेश सं0–18 रा0 (वि0) दिनांक 03.09.2021 के **परिशिष्ट–1** के क्रम में है। कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी तथा अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने के बाद विमुक्त की जाएगी।

13. केन्द्रांश की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन भारत सरकार को नियमित रुप से भेजा जायेगा।

14. आगामी वित्तीय वर्षो में भारत सरकार से विमुक्त राशि के समानुपातिक योजना का स्वीकृत्यादेश सम्यक् योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त करते हुए, निर्गत किया जाएगा।

15. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश, प्रशासनिक अनुमोदन एवं राशि विमुक्ति हेतु निर्गत पत्रों में निहित सभी शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 57 रा(वि0) मत्स्य / रॉची, दिनांक 31.03.22

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 57 रा0(वि0) मत्स्य / रॉची, दिनांक 31.03.22

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, रॉंची/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/ सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, रॉंची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 57 रा0(वि0) मत्स्य / रॉची, दिनांक 31.03.22

प्रतिलिपि : वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड, रॉची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, रॉंची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉंची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव